भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 778

गुरूवार, 8 फरवरी, 2024/19 माघ, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

हरित पोतों का विकास

778 श्री बी लिंग्याह यादव:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वर्ष 2047 तक हरित पोत और नदी क्रूज पर्यटन के विकास में 60,000 करोड़ रूपये का निवेश करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किन कमियों की पहचान की गई है और इस हेतु क्या-क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं तथा इसके अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं और आज की तिथि तक इस संबंध में राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत/व्यय की गई है, तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रवार मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्यों से प्राप्त मांगों और उन पर की गई कार्रवाई का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और अब तक अस्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ख): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2047 तक पूर्ण रूप से पर्यावरण अनुकूल पोतों में अंतरण हेतु दिनांक 08.01.2024 को पर्यावरण अनुकूल पोतों के विकास के लिए 'हरित नौका' संबंधी दिशा-निर्देश तथा देश में रिवर क्रूज पर्यटन हेतु रोडमैप जारी किया है।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) पोत परिवहन तथा जहाजरानी के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू) के विकास और विनियमन का कार्य करता है। आईडब्ल्यूएआई द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों पर परिवहन के लिए विकसित फेयरवे, टर्मिनल, जेट्टी, जहाजरानी संबंधी उपकरण आदि अवसंरचना का उपयोग नदी पर्यटन ऑपरेटरों द्वारा भी किया जाता है। आईडब्ल्यूएआई राष्ट्रीय जलमार्गों पर क्रूज/रिवर पर्यटन के लिए एक अवसंरचनाप्रदाता और तकनीकी सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाता है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (एनडब्ल्यू-1) और राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (एनडब्ल्यू-2) के लिए पर्यावरण अनुकूल पोतों और एनडब्ल्यू-2 पर फ्लोटिंग जेट्टियों के विकास के लिए आईडब्ल्यूएआई द्वारा स्वीकृत निधियाँ **अनुबंध** में दी गई हैं।

****

अनुबंध

श्री बी लिंग्याह यादव द्वारा हरित पोतों का विकास के सम्बन्ध में दिनांक 08.02.2024 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 778 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में **विवरण**

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (एनडब्ल्यू-1) और राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (एनडब्ल्यू-2) के लिए पर्यावरण अनुकूल पोतों और एनडब्ल्यू-2 पर फ्लोटिंग जेट्टियों के विकास के लिए आईडब्ल्यूएआई द्वारा स्वीकृत निधियों का विवरण

i. एनडब्ल्यू-1 (गंगा नदी) और एनडब्ल्यू-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) के लिए पर्यावरण अनुकूल पोतों के विकास के लिए 144 करोड़ रु. की कुल लागत से 8 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक केटमरेन का प्रावधान किया गया है। इसमें से एक-एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटमरेन अयोध्या और वाराणसी को सौंपी गई हैं।

ii. पर्यटकों के उतरने-चढ़ने के लिए एनडब्ल्यू-2 (जोगीघोपा, पांडु, बिस्वनाथ घाट, नेमाती, सादिया, लीका और ओरियम) पर 11.83 करोड़ रु. की कुल लागत से 7 पर्यटक जेट्टियों की स्थापना हेतु स्वीकृति दी गई है।

iii. क्रूज पोतों की बर्थिंग के लिए वाराणसी और हल्दिया के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर आईडब्ल्यूएआई द्वारा 126.62 करोड़ रु. की कुल लागत से 62 कम्युनिटी जेट्टियों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

****